



मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

निर्वाचन भवन
58, अरैरा हिल्स भोपाल-462011
Email - mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

क्रमांक-एफ-53NN-01/2022/पांच/36
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 09/02/2022

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-शिवपुरी (म0प्र0).

विषय:- नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी के आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी का कार्यकाल दिनांक-12.02.2018 को पूर्ण होने के पश्चात् आयोग द्वारा नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी का निर्वाचन कार्यक्रम आदेश क्र-एफ-53NN-022018/पांच/493-495, दिनांक-09.07.2018 को जारी किया गया था। आयोग द्वारा जारी इस निर्वाचन कार्यक्रम को आदेश क्र एफ-70NN-14/2018/पांच/508, दिनांक-10.07.2018 के द्वारा स्थगित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी के निर्वाचन के संबंध में प्रचलित रिट पिटीशन क्र-140/2021 में पारित आदेश दिनांक-14.01.2022 एवं रिव्यू पिटीशन क्र-216/2022 में पारित आदेश दिनांक-08.02.2022 के परिपालन में नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है।

02. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(1), 36(2)(क) सहपठित मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 के अनुसार आयोग, नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी के आम निर्वाचन-2022 हेतु, निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है तथा निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप-2 में सूचना जारी की जाए। प्ररूप-2 के साथ संलग्न कार्यक्रम के कॉलम (खाना)-5 में यह उल्लेख किया जाए कि नाम निर्देशन पत्र प्रतिदिन पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

03. निर्वाचन की सूचना (प्ररूप-2) के साथ-साथ :-

- (i) नियम-22 के अन्तर्गत प्ररूप-2 के में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा
- (ii) नियम-16 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाए।

04. इस निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियां मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में प्रावधानित पार्षद पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाताओं द्वारा तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019, दिनांक-27.01.2020 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम, 2019 के प्रावधान (राजपत्र की प्रति संलग्न है) अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जायेगा।

05. नगर परिषद् नरवर जिला-शिवपुरी का निर्वाचन दिनांक 01 जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, म0प्र0शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित म0प्र0राजपत्र (असाधारण) क्र.-492 दिनांक 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा वार्डों के आरक्षण दिनांक-06.06.2018 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र क्र.-340 दिनांक 02 अगस्त 2019 में किया गया है, के आरक्षण के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराये जाये।

06. आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-70NN-15/2020/पांच/703 दिनांक 21/12/2020 के द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2021 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः यह निर्वाचन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से ही कराये जावेंगे।

for

07. नगर परिषद के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-क तथा 32-ख के अनुसार अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा। निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण धारा-32-ग के अन्तर्गत निरर्हित किया जा सकेगा।

08. आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 में म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43(2) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की तरह ई0व्ही0एम0 से निर्वाचन हेतु मतपत्र मुद्रण में अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के फोटो मुद्रण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थी से उनके फोटो का साईज 2 cm x 2.5 cm के फोटोग्राफ प्राप्त किये जावें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विषयान्तर्गत जारी पत्र दिनांक 16 मार्च, 2015 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। इस संबंध में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा की जाने वाले घोषणा संबंधी प्रारूप पत्र भी संलग्न है, जो नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्राप्त किया जाना है।

09. आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष-2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-10) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 30(3)के तहत विहित प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। आयोग का पत्र क्रमांक एफ-57/एनएन-1/2017/पांच/205 दिनांक 01/04/2017 एवं संशोधित पत्र क्रमांक एफ-57/एनएन/-1/2017/पांच/478 दिनांक 02/07/2018. के अनुसार कार्यवाही की जाना है।

10. आयोग के पत्र क्रमांक एफ-70-36/2015/तीन/नपा0/256 दिनांक 20/04/2016 द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुए, फाईल फोल्डर का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये हैं। इन फाईल फोल्डर में वर्तमान में 16 अभिलेख (प्ररूप/प्रपत्र) लगाये जाते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन "पीठासीन अधिकारी की बुकलेट" मार्च 2018 तैयार की गई है। फाईल फोल्डर में जो 16 अभिलेख लगाये जाते थे उनमें से प्ररूप-12 "मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति", प्ररूप-17क "मतदाता रजिस्टर", निविदत्त मतों की सूची एवं निविदत्त मतपत्र, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, अभिलिखित मतों का लेखा (प्ररूप-18क) (प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक) को छोड़कर शेष अभिलेख बुकलेट में समाहित हैं। अतः आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पत्र क्रमांक एफ-70-36/2015/तीन/नपा./392 दिनांक 23/05/2018 अनुसार आपके पास उपलब्ध पूर्व के फाईल फोल्डरों में पृष्ठ-2 एवं अंतिम पृष्ठ पर क्रमशः चेकलिस्ट एवं निर्देशों को आयोग के पत्र दिनांक 23/05/2018 अनुसार चस्पा कर फाईल फोल्डरों का उपयोग पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाये।

11. निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाये, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑन लाईन एप्लीकेशन IEMS (Integrated Election Management System) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

12. इस निर्वाचन के संबंध में आयोग को आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूपों में यथा समय प्रेषित की जाए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाए। निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-14 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा मतदान की स्थिति में प्ररूप-23 में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाए।

13. कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश क्र-एफ-70NN-06/2020/पांच/484 दिनांक 11/09/2020 द्वारा जारी गाइडलाइन एवं कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

14. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित नगरीय निकायों (संलग्न परिशिष्ट-एक) के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। अतः आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

15. निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

16. निर्वाचन प्रक्रिया के संपादन में निम्नलिखित प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाए :-

- (1) नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2018 (पूर्वार्द्ध) से अध्यक्ष एवं पार्षदों के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन प्ररूप-3 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जावे।

fm

- (2) नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुये फाईल फोल्डर का उपयोग कराये जाने का विशेष ध्यान रखा जावे। साथ ही मार्च, 2018 से आयोग द्वारा मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित कर एक पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
 - (3) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी।
 - (4) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70-42/2003/तीन/न.पा./333 दिनांक 10/07/2014 के अनुसार अब मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। यह संशोधित आदेश आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-70एनएन-02/2017/पांच/222 दिनांक 11/04/2017 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है। तथा आदेश क्रमांक-एफ-70-42/2003/तीन/न.पा./1106 दिनांक 03/11/2014 के अनुसार राजपत्र क्रमांक-282 दिनांक 10/07/2014 में कंडिका-2 का विलोपन किया गया है एवं विलोपन की अधिसूचना राजपत्र क्रमांक-512 दिनांक 03/11/2014 में प्रकाशित की गई है इसकी प्रति आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
 - (5) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 एवं 31 में किए गए संशोधन का भी विशेष ध्यान रखा जावे। प्रावधान अनुसार निर्वाचन दलीय आधार पर कराया जाना है। आयोग की अधिसूचना क्र-एफ-57NN-01/2019/पांच/445, दिनांक-21/09/2021 द्वारा पार्षद पद हेतु मुक्त निर्वाचन प्रतीकों को विहित किया गया है। अधिसूचित राजपत्र की प्रति संलग्न है।
 - (6) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26(1) में किए गए संशोधन का भी विशेष ध्यान रखा जावे।
 - (7) म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय-7 "क" का ध्यान रखा जाये, नगरीय निकायों के आम निर्वाचन ई0व्ही0एम0 से कराया जाना है।
 - (8) आयोग के पत्र क्र.-एफ-70NN-06/2020/पांच/484 दिनांक 11/09/2020 द्वारा जारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देश का ध्यान रखा जाये।
 - (9) आयोग के पत्र क्र.-एफ-70NN-03/2021/पांच/88 दिनांक 08/02/2021 निर्वाचन के दौरान स्ट्रांग रूम में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षापरक उपयोग-सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जावे।
17. नगरीय निकायों से संबंधित/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
18. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को ई-मेल द्वारा तत्काल भेजी जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Email address -mpsec@mp.gov.in

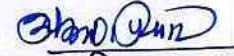

(बी.एस.जामोद)
सचिव

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

पृ० क्रमांक-एफ-53NN-01 / 2022 / पांच / 37
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 09/02/2022

- (1) मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (3) अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (4) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (5) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
- (6) प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
- (7) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
- (8) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- (9) संभागीय आयुक्त, ग्वालियर (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
- (11) आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म०प्र०, ग्वालियर की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।
- (12) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल।
- (13) उप सचिव (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- (14) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- (15) अवर सचिव, (समस्त) म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- (16) उपसंचालक (बजट), म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (17) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (18) बजट/व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (19) आई.टी. शाखा प्रभारी, म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग।
- (20) गार्ड फाईल।



उप सचिव 09/02/2022

म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

6



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
दूरभाष-0755-2555527
ई-मेल : mpsec@mp.gov.in

// आदेश //

क्रमांक-एफ-53NN-01/2022/पांच/35

भोपाल, दिनांक 09/02/2022

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-36(2)(क) एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा नगर परिषद् नरवर जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन वर्ष-2022 हेतु निम्नानुसार समय-अनूसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना।	21, 22	11.02.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन।	22(क)	11.02.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन।	16	11.02.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख।	21(क)	18.02.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	19.02.2022 (शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख।	21(ग)	21.02.2022 (सोमवार)	अपरान्ह 3:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।	30, 31	21.02.2022 (सोमवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	06.03.2022 (रविवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे तक
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा।	21(ड)	09.03.2022 (बुधवार)	प्रातः 9:00 बजे से

(बी. एस. जामोद)
सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग